प्रेषक:

निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा ।

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी,

पानीपत

यादी क्रमांक 4/26-96 सै0शि0 शा।

दिनांक: चण्डीगढ़ 10-3-97

विषय: 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली शुरू करने की अनुमति प्रदान करना ।

====

विभागीय विद्यालय निरीक्षण कमेटी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट/सिफारिश को देखते हुए एस0 डी0 माडर्न सिनियर सैकण्डरी स्कूल पानीपत ------------------------को शैक्षिक सत्र 1997-98 मे 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली में जमा 1 तथा जमा 2 कक्षाओं में आर्टस, कॉमर्स तथा विज्ञान संकीय प्रारम्भ करने को स्थाई अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली हेतु राज्य सरकार/विभाग से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता/अनुदान व पद इत्यादि इत्यादि की मांग नहीं करेंगे और इस बारे नार्म-अनुसार छात्र/छात्राओं को वांछित सभी आवश्यक साधन/सुविधाएं अपने खर्चे पर ही उपलब्ध करायेंगे ।

2. 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली की सम्बन्धित कक्षाओं के लिए प्राध्यापक वर्ग की नियुक्ति विभागीय योग्यता अनुसार अर्थात केवल उन्हीं को प्राध्यापक पद पर लगाया जाये जिन्होने एम0ए0/एम0एस0सी0/एम0 काम के सम्बन्धित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हों तथा सह-शिक्षा के लिए विभागीय शर्तों की भी पालना की जायेगी । इसी प्रकार अन्य पदों पर नियुक्तियां भी हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताओं/शर्तों के अन्तर्गत की जायेगी ।

3. सभी छात्र/छात्राओं के लिए फर्नीचर इत्यादि का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाये ।

Principal
S.D. Modern Sr. Sec. School
Panipat

4. जमा एक तथा दो कक्षाओं के लिए नियुक्ति नियमानुसार की जायेगी तथा प्रबन्धक उनको पूरा वेतन अपने साधनों से भुगतान करेंगें, इसके लिए सरकार से किसी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जायेगी।

5. विद्यालय को हरियाणा एजुकेशन कोड की सभी शर्तों का पालन करना होगा।

6. 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली में केवल वही विषय अथवा संकाय शुरू किये जायेगें जिनको टीचिंग/लर्निंग के लिए आवश्यक साधन/सुविधायें विद्यालय में उपलब्ध हों तथा जिनको अनुमति विभाग द्वारा दी गई हो।

7. सरकार/विभाग/हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा समय-2 पर जारी हिदायतों/निर्देशों का पालन किया जायेगा।

8. सरकार की हिदायतों अनुसार आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा।

9. प्रवेश हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा जारी हिदायतों अनुसार किया जायेगा।

10. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि विद्यालय के पुस्तकालय में प्रति छात्र 6 के हिसाब से पुस्तकें उपलब्ध हों।

11. स्टाफ को वेतन बैंक चैक के द्वारा ही दिया जायेगा।

12. हरियाणा शिक्षा विभाग/हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुस्तकें ही विद्यालय में पढ़ाई जायेंगी।

13. संस्था में कार्यरत का छ: मास के वेतन के बराबर बकाया राशि जिला शिक्षा अधिकारी के नाम बैंक में प्लैज करवाई जायेगी।

14. विभाग द्वारा अनुमति किसी भी समय नोटिस देकर वापिस ली जायेगी।

ह० /-

उप निदेशक सैकण्डरी शिक्षा
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा।

पृ० क्रमांक: सम दिनांक: 10-3-97

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रबन्धक एस० डी० माडर्न सीनियर सैकण्डरी स्कूल, पानीपत
2. सचिव, हरियाणा ~~xxxxx~~ विद्यालय शिक्षा बोर्ड,, भिवानी।

उप निदेशक सैकण्डरी शिक्षा 18/3/97
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा।

उप निदेशक शिक्षा

Principal
S.D. Modern Sr. Sec. School
Panipat